

प्रेषक,

राजेन्द्र सिंह,  
उप सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव  
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद  
समुदाय केन्द्र, प्रीति विहार,  
नई दिल्ली।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-3

देहरादून दिनांक 29 जून, 2007

विषय:

श्री गुरु राम राय पब्लिक स्कूल, कर्णप्रयाग (चमोली) को सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री गुरु राम राय पब्लिक स्कूल, कर्णप्रयाग (चमोली) को सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिये जाने में राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है:-

- 1- उत्तराखण्ड में स्थित शिक्षण संस्थानों को कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन/सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, नई दिल्ली से सम्बद्धता प्राप्त करने हेतु उपर्युक्त दोनों बोर्डों द्वारा निर्धारित शर्तों/मानकों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
- 2- विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- 3- विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित सदस्य होगा।
- 4- विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिये सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक नहीं लिया जायेगा।
- 5- संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशनल, नई दिल्ली/कौंसिल फार इण्डियन सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।
- 6- संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
- 7- विद्यालय/संस्था में कार्यरत कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्त लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
- 8- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।
- 9- विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।

क्रमशः.....2

  
PRINCIPAL  
SGRR PUBLIC SCHOOL  
KARANPRAYAG

10- उक्त शर्तों में, बिना शासन के पूर्वानुमोदन के, कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

2- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी भी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

(राजेन्द्र सिंह)  
उप सचिव

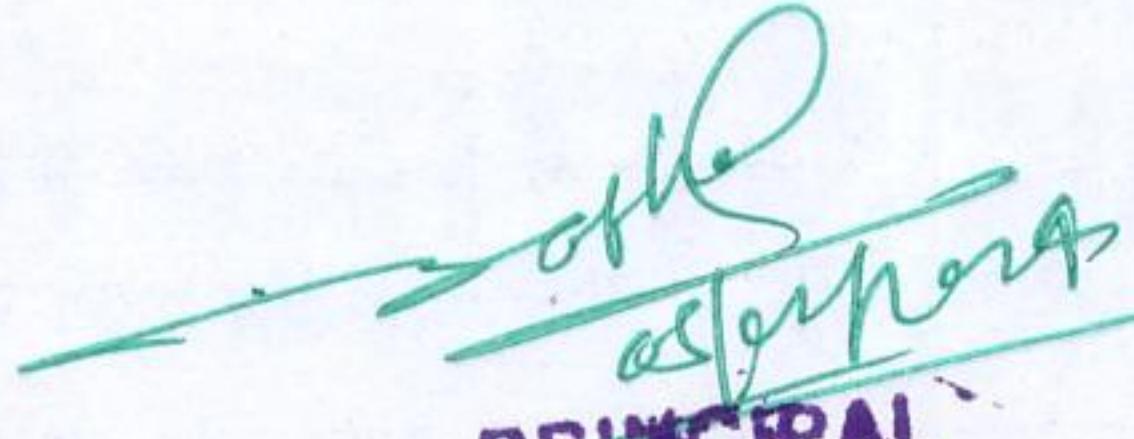
संख्या 727(1)/XXIV-3/2006/01(25)/2006, तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, मयूर विहार, देहरादून।
- 2- अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- 3- जिला शिक्षा अधिकारी, देहरादून।
- ✓ 4- प्रधानाचार्य, श्री गुरु राम राय पब्लिक स्कूल, कर्णप्रयाग (चमोली)
- 5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह)  
उप सचिव

  
PRINCIPAL  
SGRR PUBLIC SCHOOL  
KARANPRAYAG